

अनुदान संख्या 25 – उच्चतर शिक्षा विभाग  
GRANT No. 25 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	65325,15,00	65325,24,00	37570,36,54	-27754,87,46
पूरक	Supplementary	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8661,56,72

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत—	Voted-		25,50,00	12,02,23	-13,47,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,80,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	13000.00	13448.28	10584.37	-2863.91
पु.	R.	448.28			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	3441116.00	3331476.28	1873119.24	-1458357.04
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-109642.72			

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	2514179.00			
पू.	S.	3.00	2296203.59	1848128.83	-448074.76
पु.	R.	-217978.41			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	301220.00			
पू.	S.	3.00	35.01	..	-35.01
पु.	R.	-301187.99			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	253000.00			
			25204.12	25204.10	-0.02
पु.	R.	-227795.88			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	10000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-10000.00			

(I) ₹2120803.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2021, दिसम्बर 2021 और मार्च 2022 में प्राप्त ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्तर शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2116226.40 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "2202" —

(क) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" — "आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को अंतरण — माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां" — ₹1422898.00 लाख — लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(ख) "भाषा विकास — आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन — भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान" — ₹4400.00 लाख — संस्थान के स्थापना के आरंभिक चरण में होने के कारण।

(ग) "सामान्य" — "अनुसंधान" —

(i) "अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)" — ₹750.00 लाख; व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(ii) "सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीतिगत अनुसंधान (इम्प्रेस)" — ₹1860.00 लाख — योजना जारी रहने के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पूरा न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2203" —

(क) "आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को अंतरण — माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां" — ₹377102.00 लाख — लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹2120803.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilized under seventy heads; of these ₹2116226.40 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2202" —

(a) "University and Higher Education - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchchar Shiksha Kosh"- ₹1422898.00 lakhs- due to non-finalization of accounting procedure.

(b) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Bharatiya Bhasha University & Institute of Translation"- ₹4400.00 lakhs - due to institute being in early stage of establishment.

(c) "General - Research" -

(i) "Scheme for Promotion of Academic and Research in Collaboration (SPARC)" - ₹750.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(ii) "Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)" - ₹1860.00 lakhs - due to non completion of third party evaluation for continuation of the scheme.

(B) Major Head "2203" -

(a) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchchar Shiksha Kosh" - ₹377102.00 lakhs- due to non-finalization of accounting procedure.

- (ख) "अन्य व्यय – अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल" – ₹750.00 लाख – कोविड-19 महामारी की वजह से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
- (ग) मुख्य शीर्ष "2552" –
- (क) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता" –
- (i) "इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता" – ₹1060.00 लाख;
- (ii) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" – ₹18340.00 लाख;
- (iii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" – ₹20580.00 लाख;
- (iv) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹96421.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ख) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय" –
- (i) "राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन" – ₹673.00 लाख;
- (ii) "छात्र वित्तीय सहायता" – ₹1350.00 लाख;
- (iii) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹544.00 लाख;
- (ग) "भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान" – ₹3630.00 लाख;
- (घ) "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान" –
- (b) "Other Expenditure - Global Initiative for Academic Network (GIAN)" - ₹750.00 lakhs- due to non-receipt of proposals owing to COVID-19 pandemic.
- (C) Major Head "2552"
- (a) "University and Higher Education – Assistance to Universities" -
- (i) "Assistance to IGNOU and State Open Universities" - ₹1060.00 lakhs;
- (ii) "University Grants Commission (UGC)" - ₹18340.00 lakhs;
- (iii) "National Education Mission : Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)" - ₹20580.00 lakhs;
- (iv) "Grants to Central Universities" - ₹96421.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);
- (b) "University and Higher Education - Other Expenditure" -
- (i) "National Mission on Teachers and Teaching" - ₹673.00 lakhs;
- (ii) "Student Financial Aid" - ₹1350.00 lakhs;
- (iii) "Assistance to Other Institutions" - ₹544.00 lakhs;
- (c) "Language Development – Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Grants for Promotion of Indian Languages" - ₹3630.00 lakhs;
- (d) "Technical Education – Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

- |                                                                                                       |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹43090.00 लाख;                                                    | (i) "Indian Institutes of Technology"- ₹43090.00 lakhs;                                                                        |
| (ii) "भारतीय प्रबंधन संस्थान" – ₹540.00 लाख; (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);                | (ii) "Indian Institutes of Management" - ₹540.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh);                    |
| (iii) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" – ₹2790.00 लाख;                                               | (iii) "All India Council for Technical Education (AICTE)"- ₹2790.00 lakhs;                                                     |
| (iv) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹16320.00 लाख;                                                       | (iv) "Assistance to other institutions"- ₹16320.00 lakhs;                                                                      |
| (v) "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1081.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);     | (v) "Indian Institutes of Information Technology (IIITs)"- ₹1081.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); |
| (vi) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी <sub>एस</sub> ) और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹50580.00 लाख; | (vi) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST"- ₹50580.00 lakhs;                                          |
| (ड) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग" – ₹2934.00 लाख;                  | (e) "General (General Education)- Other Expenditure- Digital India e-learning"- ₹2934.00 lakhs;                                |
| (च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –                                                     | (f) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –                                                                            |
| (i) "अन्य संस्थाओं को सहायता" – ₹1301.00 लाख;                                                         | (i) "Assistance to other institutions"- ₹1301.00 lakhs;                                                                        |
| (ii) "डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग" – ₹607.00 लाख;                                                         | (ii) "Digital India e-learning"- ₹607.00 lakhs;                                                                                |
| (iii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" – ₹6660.00 लाख;                                           | (iii) "Grants to Central Universities"- ₹6660.00 lakhs;                                                                        |
| (iv) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को सहायता" – ₹3850.00 लाख;                          | (iv) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST"- ₹3850.00 lakhs;                                           |
| (v) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" – ₹4070.00 लाख;                                                       | (v) "University Grants Commission (UGC)"- ₹4070.00 lakhs;                                                                      |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(vi) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" — ₹6100.00 लाख;</p> <p>(vii) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" — ₹3000.00 लाख।</p> <p>(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" —</p> <p>(i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" — ₹1410.00 लाख;</p> <p>(ii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" — ₹3420.00 लाख;</p> <p>(iii) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी<sub>एस</sub>) और आईआईएएसटी को सहायता" — ₹2070.00 लाख;</p> <p>(iv) "अन्य संस्थाओं को सहायता" — ₹635.00 लाख;</p> <p>(v) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" — ₹2090.00 लाख; और</p> <p>(vi) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" — ₹3320.00 लाख।</p> | <p>(vi) "National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)"- ₹6100.00 lakhs;</p> <p>(vii) "Indian Institutes of Technology (IITs)"- ₹3000.00 lakhs;</p> <p>(g) "Tribal Area Sub Plan" –</p> <p>(i) "Indian Institutes of Technology (IITs)"- ₹1410.00 lakhs;</p> <p>(ii) "Grants to Central Universities"- ₹3420.00 lakhs;</p> <p>(iii) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST"- ₹2070.00 lakhs;</p> <p>(iv) "Assistance to other institutions"- ₹635.00 lakhs;</p> <p>(v) "University Grants Commission (UGC)"- ₹2090.00 lakhs; and</p> <p>(vi) "National Education Mission; Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan"- ₹3320.00 lakhs.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

उपर्युक्त अट्टाईस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" — "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" —

- (क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा — राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" ₹6860.00 लाख;
- (ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना — राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" — ₹2030.00 लाख; और

Provisions under the above twenty eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head "3602" "Centrally Sponsored Schemes" -

- (a) "Central Assistance/ Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)"- ₹6860.00 lakhs;
- (b) "Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)"- ₹2030.00 lakhs; and

(ग) "जनजाति क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशनरू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" – ₹1110.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)" - ₹1110.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from Union Territories.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – उच्चतर शिक्षा विभाग" – ₹2415.63 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने और कम विज्ञापन और कम प्रचार के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Higher Education" - saving of ₹2415.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, less tours undertaken and less advertisement and publicity.

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(III) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:

(का) विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" –

(A) "University and Higher Education" -

(क) "विश्वविद्यालयों को सहायता" –

(a) "Assistance to Universities"-

(i) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय" – ₹3741.07 लाख की बचत (₹4780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए किराये की उपायों के कारण हुई।

(i) "Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities"- saving of ₹3741.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4780.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and economy measures imposed by the Ministry of Finance.

(ii) "उच्चतर शिक्षा" – ₹44114.05 लाख की बचत (दिसंबर, 2021 में प्राप्त 0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹159440.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं द्वारा कम निधियों की आवश्यकता, अनुसंधान संस्थाओं के मानचित्रांकन और प्रयोगशालाओं के प्रक्रियाधीन होने, व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने, राजकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति और मितव्ययिता उपायों के कारण हुई।

(ii) "Higher Education" - saving of ₹44114.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹159440.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2021) was due to requirement of less funds by institutes, mapping of research institutes and labs being underway, non-receipt of viable proposals, receipt of unspent balance under Treasury Single Account and economy measures.

- (iii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹5469.30 लाख की बचत (₹5490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों को जारी करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने की वजह से केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों की अपात्रता के कारण हुई।
- (ख) "उच्चतर शिक्षण संस्थान - शास्त्री भारत - कनाडाई संस्थान" - ₹707.52 लाख की बचत (₹716.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल संस्थान से व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -
- (i) "उच्चतर शिक्षा" - ₹11041.25 लाख की बचत (₹33600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता, नोडल संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने, राज्यकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति और मितव्यायिता उपायों के कारण हुई।
- (ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹1624.00 लाख की बचत (₹1630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों को जारी करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने की वजह से केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों की अपात्रता के कारण हुई।
- (iii) "राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन" - ₹886.50 लाख की बचत (₹1351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएफसी द्वारा अनुमोदित कम प्रस्तावों और प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।
- (घ) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" -
- (iii) "National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan" - saving of ₹5469.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5490.00 lakhs) was due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds.
- (b) "Institutes of Higher Learning - Shastri Indo-Canadian Institute" - saving of ₹707.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹716.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the nodal institute.
- (c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -
- (i) "Higher Education" - saving of ₹11041.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by institutes, non-receipt of viable proposals from the nodal institutes, receipt of unspent balance under Treasury Single Account and economy measures.
- (ii) "National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan" - saving of ₹1624.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1630.00 lakhs) was due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds.
- (iii) "National Mission on Teachers and Teaching" - saving of ₹886.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1351.00 lakhs) was due to less proposals approved by SFC and late receipt of proposals.
- (d) "Tribal Area Sub-Plan" -

- (i) "उच्चतर शिक्षा" - ₹2818.93 लाख की बचत (₹16400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता, एकल राजकोषीय खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।
- (ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹876.70 लाख की बचत (₹880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों को जारी करने की संशोधित करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने की वजह से केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों की अपात्रता के कारण हुई।
- (ड.) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" - ₹175000.00 लाख की बचत (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।
- (च) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय अध्यापक एवं अध्यापन मिशन" - ₹4439.03 लाख की बचत (₹6047.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को जारी रखने के लिए एसएफसी अनुमोदन में विलंब और बिलों के देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) "भाषा विकास" -
- (क) "निर्देशन और प्रशासन - केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र" - ₹819.36 लाख की बचत (₹2809.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए किराये की उपायों के कारण हुई।
- (i) "Higher Education" - saving of ₹2818.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16400.00 lakhs) was due to requirement of less funds by institutes, receipt of unspent balance of under Treasury Single Account and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (ii) "National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan" - saving of ₹876.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹880.00 lakhs) was due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds.
- (e) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts- Funds for Transfer to National Investment Fund (NIF)" - saving of ₹175000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (f) "Other Expenditure- National Mission on Teachers and Teaching" - saving of ₹4439.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6047.00 lakhs) was due to delay in SFC approval for continuation of the scheme and late receipt of bills.
- (B) "Language Development" -
- (a) "Direction and Administration- Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers" - saving of ₹819.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2809.00 lakhs) was due to non-filling up vacant posts, requirement of less funds by voluntary organizations and economy measures imposed by the Ministry of Finance.

- (ख) "आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान" – ₹18968.42 लाख की बचत (₹35670.00 लाख के स्वीकृत प्रावध. इन की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थ. इन का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन और राजकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति के कारण हुई।
- (ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान" – ₹1820.05 लाख की बचत (₹2450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (घ) "जनजाति क्षेत्र उप-योजना – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान" – ₹861.41 लाख की बचत (₹1180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- (b) "Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian languages" - saving of ₹18968.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35670.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from State Governments, conversion of Rashtriya Sanskrit Sansthan into a Central University and receipt of unspent balances under Treasury Single Account.
- (c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants for Promotion of Indian languages" - saving of ₹1820.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2450.00 lakhs); and
- (d) "Tribal Area Sub-Plan - Grants for Promotion of Indian languages" - saving of ₹861.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1180.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of proposals from State Governments and conversion of Rastriya Sanskrit Sansthan into a Central University.

(गा) "सामान्य" –

(C) "General"

- (क) "अनुसंधान" – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल" – ₹5217.76 लाख की बचत (₹23180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) "छात्रवृत्ति – विद्यार्थी वित्तीय सहायता" – ₹21280.65 लाख की बचत (₹186042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –
- (a) "Research - National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences" - saving of ₹5217.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23180.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.
- (b) "Scholarships - Student Financial Aid" - saving of ₹21280.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹186042.00 lakhs); and
- (c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

- (i) "विद्यार्थी वित्तीय सहायता" – ₹22260.29 लाख की बचत (₹30710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के छात्रों से दावों के कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

- (ii) "डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग" – ₹4176.36 लाख की बचत (जुलाई, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9713.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

- (घ) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" –

- (i) डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग" – ₹2232.99 लाख की बचत (जुलाई, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4991.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, एसएफसी अनुमोदन में विलंब और राजकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति के कारण हुईं।

- (ii) "विद्यार्थी वित्तीय सहायता" – ₹12749.38 लाख की बचत (₹15655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के दावा आधारित होने की वजह से कम दावों के प्राप्त के कारण हुईं।

- (ड.) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग – नियोजन, प्रशासन और वैश्विक सहयोग" – ₹7231.96 लाख की बचत (₹13309.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

- (च) "अन्य व्यय" –

- (i) "Student Financial Aid" - saving of ₹22260.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30710.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from students of Jammu & Kashmir.

- (ii) "Digital India e-Learning" - saving of ₹4176.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9713.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in July, 2021 and March, 2022); and

- (d) "Tribal Area Sub-Plan" -

- (i) "Digital India e-Learning" - saving of ₹2232.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4991.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in July, 2021 and March, 2022).

Savings under the above two heads were due to less receipt of proposals, delay in SFC approval and receipt of unspent balances under Treasury single account.

- (ii) "Student Financial Aid" - saving of ₹12749.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15655.00 lakhs) was due to receipt of less claims, scheme being claim based.

- (e) "International Co-operation- Planning, Administration & Global Engagement" - saving of ₹7231.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13309.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

- (f) "Other Expenditure" -

- (i) डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹19127.73 लाख की बचत (जुलाई, 2021 दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹45988.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने, एसएफसी अनुमोदन में विलंब तथा राज कोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ii) “स्टडी इन इंडिया” – ₹1000.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (iii) चौम्पियन सर्विसेज सेक्टर” – ₹6435.46 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (IV) मुख्य शीर्ष “2203” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (का) “प्रशिक्षण” –
- (क) “प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम” – ₹30309.00 लाख की बचत (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)” – ₹2661.00 लाख की बचत (₹15230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (खा) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवाचार” – ₹10823.77 लाख की बचत (₹15220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और मितव्ययिता उपायों के कारण हुई।
- (गा) “छात्रवृत्ति” –
- (i) “Digital India e-Learning” - saving of ₹19127.73 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹45988.40 lakhs including token supplementary grant of ₹1.40 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022) was due to less receipt of viable proposals, delay in SFC approval and receipt of unspent balances under Treasury Single Account
- (ii) “Study in India”- saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);
- (iii) “Champion Services Sector” - saving of ₹6435.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs); and
- (IV) Under Major Head “2203” - savings occurred under the following heads: -
- (A) “Training” -
- (a) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- saving of ₹30309.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs).
- Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals.
- (b) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)” - saving of ₹2661.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15230.00 lakhs); and
- (B) “Research - Research and Innovation” - saving of ₹10823.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15220.00 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals and economy measures.
- (C) “Scholarships” -

- (क) "विद्यार्थी वित्तीय सहायता" – ₹1505.10 लाख की बचत (₹10540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) "आसियान अध्येतावृत्ति" – ₹897.06 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (घा) "इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान" –
- (क) "भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता" – ₹552.40 लाख की बचत (₹56465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी ऋण की कम पुनर्दायगी के कारण हुई।
- (ख) "योजना और वास्तुकला विद्यालय" – ₹5630.00 लाख की बचत (₹15850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- (डा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –
- (क) "अनुसंधान और नवाचार" – ₹2505.04 लाख की बचत (₹3320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- (ख) "प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम" – ₹6749.00 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – स्कीम के विस्तार/जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन में विलम्ब के कारण हुई।
- (a) "Student Financial Aid" - saving of ₹1505.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10540.00 lakhs) was due to receipt of unspent balances under Treasury Single Account.
- (b) "ASEAN Fellowship"- saving of ₹897.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to COVID-19 pandemic
- (D) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -
- (a) "Support to Indian Institute of Science (IISc)"- saving of ₹552.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56465.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and less re-payment of Higher Education Financing Agency loan.
- (b) "Schools of Planning and Architecture (SPAs)"- saving of ₹5630.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15850.00 lakhs); and
- (E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -
- (a) "Research & Innovation" - saving of ₹2505.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3320.00 lakhs).
- (b) "Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends" - saving of ₹6749.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to delay in Cabinet approval for extension/continuation of the scheme.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और मिव्ययिता उपायों के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals and economy measures.

- (ग) "विद्यार्थी वित्तीय सहायता" - ₹945.76 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (घ) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता" - ₹734.27 लाख की बचत (₹23150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (चा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" -

- (क) "विद्यार्थी वित्तीय सहायता" - ₹530.03 लाख की बचत (₹1210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राजकोषीय एकल खाते के तहत अव्ययित शेष की प्राप्ति के कारण हुईं।

- (ख) "प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम" - ₹3267.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विस्तार/जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन में विलंब के कारण हुईं।

- (ग) "अनुसंधान और नवाचार" - ₹1266.68 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और मितव्ययिता उपायों के कारण हुईं।

(छा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखा निधियों को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के लिए निधियां को अंतरण" - ₹367400.00 लाख की बचत (₹650000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(c) "Student Financial Aid" - saving of ₹945.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs);

(d) "Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST" - saving of ₹734.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23150.00 lakhs); and

(F) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Student Financial Aid"- saving of ₹530.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1210.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of unspent balances under Treasury Single Account.

(b) "Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends"- saving of ₹3267.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to delay in Cabinet approval for extension/continuation of the scheme.

(c) "Research & Innovation"- saving of ₹1266.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and economy measures.

(G) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for Transfer to National Investment Fund (NIF)"- saving of ₹367400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹156079.64 लाख की बचत (₹172850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹46425.91 लाख की बचत (₹51260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" - ₹25290.35 लाख की बचत (₹27890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों को जारी करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने की वजह से केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों की अपात्रता और राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(VI) "छह शीर्षों के अंतर्गत ₹2147.01 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹461989.19 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹9.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" -

- (क) "विश्वविद्यालयों को सहायता" -
- (i) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)" - ₹20840.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13403.11 लाख था।
- (ii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश" - ₹4979.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4457.16 लाख था।

(A) "Central Assistance/ Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)" - saving of ₹156079.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹172850.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)" - saving of ₹46425.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51260.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub - Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)" - saving of ₹25290.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27890.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds and receipt of less proposals from states.

(VI) Under six heads savings of ₹2147.01 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent to 86 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹461989.19 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹9.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under the following major heads:

(A) Major Head "2202" - "University and Higher Education" -

- (a) "Assistance to Universities" -
- (i) "University Grants Commission (UGC)" - ₹20840.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13403.11 lakhs.
- (ii) "Central University, Andhra Pradesh" - ₹4979.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4457.16 lakhs.

- (iii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" — ₹188668.69 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹183988.12 लाख था।
- (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- (i) "केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश" — ₹1083.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹948.83 लाख था।
- (ii) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)" — ₹4570.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2704.26 लाख था।
- (iii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" — ₹24928.48 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹23285.28 लाख था।
- (ग) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" —
- (i) "केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश" — ₹413.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹351.00 लाख था।
- (ii) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" — ₹10823.47 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9905.27 लाख था।
- (खा) मुख्य शीर्ष "2203" —
- (क) "इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान" —
- (i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" — ₹101642.74 लाख। वास्तविक अधिक व्यय तथापि, ₹76426.06 लाख था।
- (ii) "भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना" — ₹994.00 लाख।
- (iii) "भारतीय प्रबंधन संस्थान" — ₹16324.00 लाख।
- (iv) "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" — ₹2315.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2314.99 लाख था।
- (v) "अन्य संस्थानों को सहायता" — ₹14016.16 लाख।
- (vi) "भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" — ₹10281.38 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7114.11 लाख था।
- (iii) "Grants to Central Universities" - ₹188668.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹183988.12 lakhs.
- (b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -
- (i) "Central University, Andhra Pradesh" - ₹1083.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹948.83 lakhs.
- (ii) "University Grants Commission (UGC)" - ₹4570.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2704.26 lakhs.
- (iii) "Grants to Central Universities" - ₹24928.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹23285.28 lakhs.
- (c) "Tribal Area Sub-Plan" -
- (i) "Central University, Andhra Pradesh" - ₹413.00 lakhs. Actual excess, however was ₹351.00 lakhs.
- (ii) "Grants to Central Universities" - ₹10823.47 lakhs. Actual excess, however, was ₹9905.27 lakhs.
- (B) Major Head "2203" -
- (a) "Engineering/Technical Colleges and Institutes"-
- (i) "Indian Institutes of Technology (IITs)" - ₹101642.74 lakhs. Actual excess, however, was ₹76426.06 lakhs.
- (ii) "Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)" - ₹994.00 lakhs.
- (iii) "Indian Institutes of Management (IIMs)" - ₹16324.00 lakhs.
- (iv) "Indian Institutes of Information Technology (IIITs)" - ₹2315.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2314.99 lakhs.
- (v) "Assistance to Other Institutions" - ₹14016.16 lakhs.
- (vi) "Indian Institute (s) of Science Education and Research (IISER)" - ₹10281.38 lakhs. Actual excess, however, was ₹7114.11 lakhs.

- (vii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान और आईआईईएसटी को सहायता — ₹41608.19 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11974.55 लाख था।
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” —
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” — ₹9482.93 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7575.64 लाख था।
- (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” — ₹1201.00 लाख।
- (iii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” — ₹315.00 लाख।
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” — ₹785.43 लाख।
- (v) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” — ₹965.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹840.15 लाख था।
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” —
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” — ₹4055.46 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3056.26 लाख था।
- (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” — ₹574.90 लाख।
- (iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” — ₹437.36 लाख।
- (iv) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” — ₹685.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹650.83 लाख था।
- (vii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹41608.19 lakhs. Actual excess, however, was ₹11974.55 lakhs.
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹9482.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹7575.64 lakhs.
- (ii) “Indian Institutes of Management” - ₹1201.00 lakhs.
- (iii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹315.00 lakhs.
- (iv) “Assistance to Other Institutions” - ₹785.43 lakhs.
- (v) “Indian Institute(s) of Science Education and Research(IISER)” - ₹965.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹840.15 lakhs.
- (c) “Tribal Area Sub Plan” -
- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹4055.46 lakhs. Actual excess, however, was ₹3056.26 lakhs.
- (ii) “Indian Institutes of Management” - ₹574.90 lakhs.
- (iii) “Assistance to Other Institutions” - ₹437.36 lakhs.
- (iv) “Indian Institute (s) of Science Education and Research (IISER)” - ₹685.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹650.83 lakhs.

(II) बचतों को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गया:—

(का) मुख्य शीर्ष “2202” — विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा — विश्वविद्यालयों को सहायता — इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” — ₹1060.00 लाख का अधिक व्यय (₹8040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head “2202” - “University and Higher Education – Assistance to Universities – Assistance to IGNOU and State Open Universities” – excess of ₹1060.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8040.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष "2203" - इंजीनियरिंग/तकनीकी मह. विद्यालय और संस्थान - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" - ₹2790.00 लाख का अधिक व्यय (₹33310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) Major Head "2203" - "Engineering/ Technical Colleges and Institutes - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)" - excess of ₹2790.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33310.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	2550.00		
पु.	R.	-1080.00		
		1470.00	1202.23	-267.77

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "सामान्य शिक्षा - सामान्य - उच्चतर शिक्षा विभाग" - के अंतर्गत - ₹996.61 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत अवसंरचना के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under "General Education - General - Department of Higher Education" - saving of ₹996.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards capital infrastructure.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹251.16 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹251.16 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.